



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की मौत हो जाने के प्रकरण में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी खुरसैद को हुई 02 वर्ष के कारावास व 06 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त खुरसैद पुत्र फतेहदीन निवासी सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा अपनी गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए एक घटना कारित की गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 213/1994 धारा 279/304ए/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.02.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त खुरसैद को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 06 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 25.02.25

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 66/25 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-


- 1.सरफराज पुत्र जरीफ निवासी रोशनगढ़ थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2.इसरार पुत्र जाफर निवासी अछरा थाना बादलपुर जिला गौतम बुद्ध नगर व हाल निवासी खड़खडी समाधि वाली गली विक्की के खेत के पास थाना लोनी गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री कपिल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 337 अमित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकड़ा

दिनांक 25-02-2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल एच एफ डीलक्स की बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल एच एफ डीलक्स नx0 UP 17 V 3931 बरामद हुई है ।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण उर्फ छोटे पुत्र योगेन्द्र उर्फ बिल्लू निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक एक मोटरसाईकिल एच एफ डीलक्स न0 UP 17 V 3931 । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत।)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र०नि० श्री कैलाशचन्द्र शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 652 मोहित कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-का० 1083 शुभम राणा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 25.02.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 23 पैकेट अवैध देशी शराब उ०प्र० मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 23 पच्चे अवैध देशी शराब उ०प्र० मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भूषण पुत्र राजपाल उर्फ चौधरी निवासी ग्राम पाँची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 23 पच्चे अवैध देशी शराब उ०प्र० मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री शिवकुमार थाना चांदीनगर, जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री राहत जान थाना चांदीनगर, जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 25.02.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 15/25 धारा 109/3(5) बीएनएस में वांछित चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.01.25 को थाना बडौत पर वादी मनोज कुमार जैन पुत्र ज्ञानचन्द जैन निवासी ज्ञान विला कुन्दनपुरी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर फायर किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 109 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 15/25 धारा 109/3(5) बीएनएस में वांछित 10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी है तथा दिनांक 11-01-2025 को 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज पुत्र सुरेशपाल निवासी न्यू राम नगर बिनौली रोड़ करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त मनोज पुत्र सुरेशपाल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 356/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 359/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 361/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 371/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 709/22 धारा 380/411/427/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 848/22 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 413/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 123/22 धारा 379/411 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 316 नागेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 226 धर्मेन्द्र कुंमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 545 मनीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 25.02.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शौयब पुत्र मेहरबान निवासी मौ0 चौधरान पट्टी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत
।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत।
2. है0का0 19 अमित कुमार थाना बडौत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक – 25.02.2025

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

जाकिर पुत्र यासीन निवासी ग्राम किशनपुर बराल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियाशु दशवाल रमाला जनपद बागपत

2-हो0गा0 572 प्रवेन्द्र कुमार रमाला जनपद बागपत
3-हो0गा0 599 लोकेश रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना रमाला


दिनांक 25.02.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब महबूबा मार्क बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बाबू पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम असार थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पच्चे अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला बागपत ।
- 2-उ0नि0/यू0टी0 श्री प्रियांशू देशवाल थाना रमाला बागपत ।

उ-फा0 0/0 जखिल चारीपाल थाना रमाला बागपत ।

